न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/47/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/112

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री हनुमान सहाय शर्मा, नि0 दफलपुरा, पो. गोला का बास वाया टहला, जिला–अलवर (राज.)–301410		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 17.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 07.03.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 04.01.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से "प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021" में टहला तहसील में अभियान के दौरान भूमि आवंटन के आवेदन कौनसे गांव में किन–किन ने किया व टहला तहसील के समस्त भूमि आवंटित लाभार्थी संबंधी 02 बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांकः 04.01.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 366 दिनांकः 31.01.2022 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्ध प्रा0पत्र दिनांकः 08.02.2022 के माध्यम से हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 532–33 दिनांकः 18.02.2022, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपील के तथ्यों व प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित अतिविस्तृत, श्रमसाध्यम, समयसाध्य व संसाधनों को विचलित करने वाली सूचना है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के प्रकाश में उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, तद्नुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन पर विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
7. अस्तु, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 07.03.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)